भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4498
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमत में वृद्धि

4498. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न हवाई अड्डों पर लगाए जाने वाले शुल्क को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एटीएफ पर लगाए जाने वाले उच्च मूल्य वर्धित कर (वैट) को संज्ञान में लेते हुए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया। इसके परिणामस्वरूप, 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एटीएफ पर वैट कम कर दिया गया है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जो अभी भी उच्च वैट दर लगाते हैं, उनसे एटीएफ पर वैट दरें कम करने का अनुरोध किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने भी जीएसटी व्यवस्था का विस्तार करके इसमें एटीएफ को शामिल करने का मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। इस मामले पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद को लेना है, जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करने हेतु ऐरा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत वर्ष 2009 में स्वतंत्र आर्थिक टैरिफ विनियामक अर्थात, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की है। ऐरा, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करते हुए सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लैंडिंग, पार्किंग और यूडीएफ जैसे वैमानिकी प्रभार निर्धारित करता है:

(i) वैमानिकी परिसंपत्तियों के लिए निवेश पर प्रतिफल,

(ii) परिचालन व्यय,

(iii) मूल्यह्रास,

(iv) कर

इस विनियामक का उद्देश्य, सेवा प्रदाता और अंतिम प्रयोक्ता के हितों के बीच इष्टतम संतुलन बनाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि हवाईअड्डा प्रचालक जोखिम प्रोफाइल सहित निवेश पर उचित प्रतिफल के साथ हवाईअड्डे का रखरखाव और प्रचालन करे। चूंकि प्रत्येक हवाईअड्डे की पूंजीगत व्यय प्रोफ़ाइल, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, प्रचालन व्यय, यातायात प्रवाह, पिछले नियंत्रण अवधि में कम / अधिक वसूली के साथ-साथ कार्गो प्रचालकों, ग्राउंड हैंडलरों और ईंधन प्रदाताओं से राजस्व संग्रह अलग-अलग होता है, इसलिए ऐरा सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए संतुलित पद्धति बनाए रखता है और इन कारकों को अलग-अलग हवाईअड्डों के लिए लैंडिंग, पार्किंग और प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ़) प्रभारों हेतु उचित रूप से विभाजित करते हुए विभिन्न हकदार राजस्व अपेक्षाओं में परिवर्तित करता है।

*****